अध्याय-3

3 वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ सक्षम आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन की विशेषताओं में से एक है। इस अध्याय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की चर्चा की गई है।

3.1 लेखाकरण मानकों की अनुपालना

भारत सरकार द्वारा तीन भारतीय सरकारी लेखाकरण मानकों (आई.जी.ए.एस.) को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान लेखांकन मानकों की अनुपालना को नीचे **तालिका 3.1** में वर्णित किया गया है:-

तालिका 3.1: आई.जी.ए.एस. का कार्यान्वयन

आई.जी.ए.एस.	कार्यान्वयन की स्थिति	टिप्पणियाँ
आई.जी.ए.एस.-I (सरकार द्वारा दी गई गारंटियां)	ला.न.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को उनके समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी देने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन भारत सरकार द्वारा सरकारी गारंटियां दी जाती है। 2013-14 से 2017-18* की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई।
आई.जी.ए.एस.-II (सहायता अनुदान - स.अ. का लेखाकरण तथा वर्गीकरण)	अनुपालन नहीं किया गया	सरकार ने बताया (मार्च 2019) कि आई.जी.ए.एस.- II के अनुसार स.अ. के लेखाकरण तथा वर्गीकरण की अनुपालना वित्त लेखा 2018-19 में की जायगी।
आई.जी.ए.एस.-III (सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम)	अनुपालन नहीं किया गया	सरकार ने बताया (मार्च 2019) कि आई.जी.ए.एस.-III में दिए गए ऋण तथा अग्रिम के प्रकटीकरण को वित्त लेखा 2018-19 में लिया जाएगा।

* सूचना प्रधान लेखा कार्यालय (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उपलब्ध कराई गई।

3.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब

सा.वि.नि. का नियम 212 प्रावधान करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राहियों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए। **जबकि 31 मार्च 2017 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में, ₹ 6,953.64 करोड़ की समेकित राशि के 2,667 उ.प्र. 31 मार्च 2018 तक अनुदानग्राहियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।** उ.प्र. के प्रस्तुतिकरण में समयवार विलंब का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के समयवार बकाया

क्र. सं.	विलंब की अवधि (वर्षों की संख्या में)	कुल जारी किया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	0-2	918	7,165.87	188	255.04
2	2-4	639	1,961.39	155	226.13
3	4-6	382	3,405.45	250	3,093.65
4	6-8	273	1,001.98	92	583.83
5	8-10	266	3,97.70	93	297.10
6	10 और उससे अधिक	1,993	2,503.41	1,889	2,497.89
	कुल	**4,471**	**16,435.80**	**2,667**	**6,953.64**

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचना से संकलित

2,667 बकाया उ.प्र. में से ₹ 4,455.75 करोड़ के 778 उ.प्र. दो से 10 वर्षों तक की अवधि से बकाये थे, जबकि ₹ 2,497.89 करोड़ के 1,889 उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.), दिल्ली विद्युत बोर्ड[1] (डी.वी.बी.) तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय क्रमशः ₹ 1,516.92 करोड़ (21.81 *प्रतिशत*), ₹ 1,174.27 करोड़ (16.89 *प्रतिशत*) तथा ₹ 1,158.45 करोड़ (16.66 *प्रतिशत*) के बकायों के लिए जिम्मेवार थे। भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम लिमिटेड, शहरी विकास विभाग, अ.जा./अ.जजा. के लिए कल्याण निदेशालय नई दिल्ली नगर निगम (एलएसजी) ने प्राप्त किये गये अनुदान के उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किये जैसाकि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित किया गया है। **यह प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है तथा सरकार की ओर से पूर्व अनुदानों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित किए बिना ही नये अनुदानों को संवितरित कर देने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उ.प्र. का लंबित रहना निधियों के धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोजन के जोखिम से युक्त था।**

इसके अतिरिक्त, उ.प्र. के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या आहरित निधि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई गई जिसके लिए वह आहरित की गई थी।

3.3 लेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

नि.म.ले.प. (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्शन 19 तथा 20 के अंतर्गत नि.म.ले.प. को 10 निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा सौंपी गई। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा में लेखे देने तथा पृथक लेखापरीक्षा

[1] 1.7.2002 से दिल्ली विद्युत बोर्ड छः अनुषंगी कंपनियों: दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी), दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, बी.एस ई.एस राजधानी पावर लिमिटेड-डिस्कॉम, बी.एस.ई.एस यमुना पावर लिमिटेड (बी वाई पी एल)- डिस्कॉम, तथा नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (एन.डी.पी.एल) -डिस्कॉम में विखंडित हो गया।

प्रतिवेदन जारी किए जाने की स्थिति **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाई गई है। वर्ष 2016-17 तक 10 निकायों/ प्राधिकरणों में से केवल पाँच[2] निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए।

पाँच निकायों/ प्राधिकरणों के 2016-17 तक बकाया वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाया लेखों के विवरण **तालिका 3.3** में दिए गए है।

तालिका 3.3: 31 मार्च 2018 को बकाया लेखों के ब्यौरे

क्र. सं.	इकाई/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	बकाया लेखों की संख्या
1.	दिल्ली कल्याण समिति	2014-15 से 2016-17	3
2	दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.)	2012-13 से 2016-17	5
3	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2016-17	1
4	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	2010-11 से 2016-17	7
5	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन एस आई टी)	2015-16 और 2016-17	2

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पाँच निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2016-17 तक के 18 वार्षिक लेखे बकाया थे।

वार्षिक लेखों के समय पर अन्तिमकरण किए जाने के अभाव में सरकार द्वारा किए गए निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की संवीक्षा के बाहर रहे। परिणामस्वरूप, जवाबदेही निश्चित किए जाने के लिए तथा समय पर प्रभावकरिता में सुधार किए जाने के लिए उचित उपाय नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त लेखों के अन्तिमकरण में विलम्ब धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धनराशि के दुरूपयोग के जोखिम को बढ़ा देता।

सरकार को निकायों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित प्रणाली का मूल्यांकन किए जाने पर विचार विमर्श करना चाहिए।

3.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति तथा भुगतान का नियम 1983 के नियम सामान्यतः 191(3) के साथ पठित नियम 191 में अनुबन्धित है कि व्यक्तिगत जमा खातों के निम्नलिखित प्रकार के मामलों में महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) के साथ परामर्श करके संबंधित मंत्रालय/विभागों के विशेष आदेश के अंतर्गत खोला जाना प्राधिकृत किया गया हैः

[2](i) गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (ii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (iii) दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (iv) अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली तथा (v) इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

(क) प्रशासक के पक्ष में अथवा उसके द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक धनराशि तथा संलग्न संपत्ति तथा सरकारी प्रबंधन के अधीन संपदा के उद्देश्य के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाए। नियम 192(1) के अनुसार सरकार इन पी.डी.ए. को बंद नहीं करती, चाहे वे पूरे तीन वर्षों से अधिक से बकाया हों।

(ख) नियम 192 (2) के अनुसार सिविल तथा क्रिमिनल कोर्ट जमा खातों के संबंध में संबंधित मुख्य न्यायिक प्राधिकरण तथा पी.डी.ए. के पक्ष में इन्हें बंद नहीं किया जाएगा।

(ग) जहाँ सरकार की कुछ नियमित गतिविधियों के अधीन, प्राप्तियों को जारी तथा धनराशि को क्रेडिट किया गया अथवा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन लेखों को उनके अंतर्गत व्यय के प्रति उपयोग किया जाना था समेकित धनराशि से कोई व्यय सम्मिलित नहीं किया गया था। इन पी.डी.ए. को सरकार बंद नहीं करेगी जब तक कि किसी प्रांसगिक अधिनियम के प्रावधान लागू न हों।

रा.रा.क्षे. दिल्ली, का प्रधान लेखा कार्यालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के पूर्व अनुमोदन से 12 पी.डी.ए. को चला रहा है। इन पी.डी.ए. को चलाने का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों (दि.वि.प्रा. आदि) से प्राप्त किए गए मुआवजों की प्राप्ति का जमा कराया जाना, भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर्स द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान किए जाने के लिए, पेपर बुक मामलों में संवीक्षा प्रभारों, चुनाव याचिका के शुल्कों, सिविल जमा खातों तथा कोर्ट के आदेशनुसार मुकद्दमेबाजी का शुल्क, तथा समेकित धनराशि से कोई व्यय सम्मिलित नहीं था।

31 मार्च 2018 तक इन 12 पी.डी.ए. में ₹ 56.49 करोड़ का अंतिम शेष था जो समाप्त करने योग्य नहीं है।

3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले माह में आहरित किए गए सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किये गये थे।

अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि ₹ 607.64 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 205.21 करोड़ (33.77 *प्रतिशत*) की कुल राशि के वि.प्र.अ. प्राप्त हुए। जिस

कारण 31 मार्च 2018 तक ₹ 402.43 करोड़ के सा.आ. बिल बकाया थे। वर्षवार विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सा.आ. बिलों की राशि	वि.प्र.आ. बिलों की राशि	सा.आ. बिलों की प्रतिशतता में वि.प्र.आ. बिल	बकाया सा.आ. बिल
2012-13 तक	142.77	12.53	8.77	130.24
2013-14	29.58	7.64	25.82	21.94
2014-15	47.80	23.10	48.33	24.70
2015-16	67.27	19.22	28.57	48.05
2016-17	144.16	75.63	52.46	68.53
2017-18	176.06	67.09	38.11	108.97
कुल	**607.64**	**205.21**	**33.77**	**402.43**

जैसाकि तालिका में देखा जा सकता है, पाँच वर्षों से अधिक अवधि के सा.आ. बिल बकाया थे। फिर भी, 2017-18 में पिछले वर्ष से वि.प्र.अ. बिलों के द्वारा सा.आ. बिलों का समायोजन 52.46 *प्रतिशत* से घट कर 38.11 *प्रतिशत* हो गया। **विभिन्न विभागों द्वारा वि.प्र.अ. बिलों के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आहरित निधि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई गई जिसके लिये यह आहरित की गयी थी।**

2017-18 के दौरान ₹ 176.06 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 90.85 करोड़ (51.60 *प्रतिशत*) की राशि मार्च 2018 से संबंधित थी।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2018) कि जुलाई 2018 तक बकाया राशि घटकर ₹ 349.63 करोड़ हो गई थी। हालांकि तथ्य यह है कि सा.आ. बिलों के समायोजन के अभाव के कारण शेष बकाया है।

सा.आ. बिलों की निकासी के पश्चात् निर्दिष्ट समय के अंदर वि.प्र.आ. बिलों को प्रस्तुत नहीं करने से वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ है तथा सार्वजनिक धनराशि के दुर्विनियोजन व गलत कार्यप्रणाली का जोखिम रहता है। अतः इसकी गंभीरता से अनुवीक्षण करने की आवश्यकता है।

3.6 मुख्य शीर्ष-7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष

रा.रा.क्षे. दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वित्त लेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि विवरणी सं. 16 (सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की विस्तृत

विवरणी) में बिना कोई स्पष्टीकरण दिये ऋणों तथा अग्रिमों के ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष थे जैसाकि **तालिका 3.5** में वर्णित है।

तालिका 3.5: ऋणों तथा अग्रिमों के ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	31.03.2018 को शेष
1	6401	कृषि कार्य के लिए ऋण 105- खाद तथा उर्वरक	(-)90.08
2	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 201-गृह निर्माण अग्रिम	(-)618.37
3	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 202-मोटर वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	(-)223.20
4	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 203-अन्य वाहनों को खरीदने के लिए अग्रिम	(-)22.85
5	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 204- कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	(-)160.10

सरकार ने कहा (सितम्बर 2018) कि मुख्य शीर्ष 6401- कृषि कार्य के लिए ऋण, 105- खाद तथा उर्वरक के अधीन ऋणात्मक शेष संबंधित विभागों तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि मुख्य शीर्ष 7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष का संबंध केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) कार्मिकों द्वारा लिए गए ऋण से है जिसकी वसूली लो.नि.वि, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में उनकी कार्यावधि के दौरान ही की जाती है। वसूलियों को भी मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में क्रेडिट किया जाता है। इन वसूलियों को केन्द्र सरकार को उन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समय केन्द्र सरकार के विभाग के पी.ए.ओ. को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ केन्द्र सरकार के पीएओ को स्थानांतरित की गई राशि से अधिक हो सकती है। जिसके परिणामस्वरूप लेखों में प्रतिकूल शेष होता है। हालाँकि, इस मामले की पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए जांच की जा रही है तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लेखों में उपयुक्त सुझाव दिये जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय/विभागों में के.लो.नि.वि. के कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में वसूलियाँ तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के लो.नि.वि. में उनकी समयावधि के दौरान की जाने वाली वसूली को केन्द्र सरकार के पी.ए.ओ. को एक साथ स्थानान्तरित की जानी चाहिए। यह रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा भारत

सरकार की धनराशि के अवरोधन के समान है। इन मामलों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य वित्त 2016-17 के प्रतिवेदन में विशेष रूप से दर्शाए जाने के बावजूद इन पर कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। इनका पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

3.7 लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियां' तथा अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग

विविध लघु शीर्ष-800 का प्रचालन

लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियाँ' और '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग केवल तभी करनी चाहिए जब लेखों में उचित लघु शीर्ष न दिये गये हों। लघु शीर्ष-800 के नियमित प्रचालन से बचना चाहिए क्योंकि ये लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2017-18 के दौरान 19 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 196.97 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 189.10 करोड़ (96.00 *प्रतिशत*) की प्राप्तियाँ लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत की गईं। यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 38,667.27 करोड़) का 0.49 *प्रतिशत* था। जहां प्राप्ति ₹ 10.00 करोड़ से अधिक है, के महत्वपूर्ण अंश को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है जिसके उदाहरण **तालिका 3.6** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.6: लघुशीर्ष- '800 अन्य प्राप्तियां' के अधीन बुक की गई अभ्यर्पित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	'800- अन्य प्राप्तियां'			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800 के अधीन की गई बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0059-लोक निर्माण कार्य	14.34	13.14	91.63
2	0210-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	89.08	83.05	93.23
3	0217-शहरी विकास	32.23	32.23	100
4	0230-श्रम तथा रोजगार	20.79	20.20	97.16
5	0801-पॉवर	26.25	26.25	100

2017-18 के दौरान 16 मुख्य शीर्ष लेखों के अधीन, लघु शीर्ष लेखा-'800 - अन्य व्यय' के अधीन ₹ 3,359.87 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 3,258.79 करोड़ (96.99 *प्रतिशत*) को वर्गीकृत किया गया जो कुल व्यय (₹ 39,244.43 करोड़) का 8.30 *प्रतिशत* था। दृष्टांत जहाँ लघु शीर्ष '800- अन्य व्यय' के अधीन ₹ 10.00 करोड़ से अधिक है के महत्वपूर्ण अंश को वर्गीकृत किया गया है जिसके उदाहरण **तालिका 3.7** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.7: लघुशीर्ष- '800 अन्य व्यय' के अधीन बुक की गई अभ्यर्पित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	'800-अन्य व्यय'			
	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अधीन की गई बुकिंग	व्यय की प्रतिशतता
1	2041-वाहनों पर कर	214.55	157.72	73.51
2	2211-परिवार कल्याण	53.64	40.00	74.57
3	2702-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	17.10	13.31	77.84
4	2801-पॉवर	1,694.32	1,694.32	100.00
5	3054-सड़कें तथा पुल	531.08	509.06	95.85
6	3075-अन्य परिवहन सेवायें	660.17	660.17	100.00
7	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	96.62	96.62	100.00
8	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनायों पर पूंजीगत व्यय	64.86	64.86	100.00

सरकार ने कहा (सितम्बर 2018) कि वित्त विभाग इन मामलों की जांच करेगा तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले को राज्य वित्त के पूर्व प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। हालाँकि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्तमान में दर्शाई गई सभी मदों का व्यापक पुनरीक्षण कराना चाहिए तथा वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को बढ़ाए जाने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सभी प्राप्तियां तथा व्यय लेखों के उपयुक्त शीर्ष में सही ढंग से दर्ज कर दिए गए है।

3.8 निष्कर्ष

विभिन्न अनुदानग्राही संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विशेषरूप से विलंब था तथा इसके परिणामस्वरूप अनुदानों की उपयुक्त उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। ₹ 4,455.75 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र दो से 10 वर्ष के मध्य अवधि के दौरान बकाया थे जबकि ₹ 2,497.89 करोड़ के 10 वर्षों से अधिक की अवधि से बकाया थे। यहाँ इस प्रकार, यह आश्वस्त नहीं किया जा सका कि अनुदानों के प्रति व्यय वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए वह प्राधिकृत किया गया था।

31 मार्च 2018 तक ₹ 402.43 करोड़ के सा.आ. बिलों के बकाया शेष को छोड़कर ₹ 607.64 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के प्रति ₹ 205.21 करोड़ (33.77 *प्रतिशत*) के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्राप्त किए गए थे। 2017-18 के दौरान, बकाया सार आकस्मिक बिल का 51.60 *प्रतिशत* केवल मार्च 2018 से संबंधित हैं। ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि राशि

जिसके वि.प्र.आ. बिल बकाया थे वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए व्यय किए गए थे जिसके लिए इसे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत किया गया था।

2016-17 तक देय पाँच निकायों/प्राधिकरणों के 18 वार्षिक लेखे मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियों' के अधीन दर्ज किए गए व्यय तथा प्राप्तियों की बताई गई धनराशि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित कर रही थी।

वित्त लेखों में 'लेखों पर टिप्पणियाँ' सम्मिलित नहीं हैं। चूँकि इस प्रतिवेदन में जिन मामलों पर जोर दिए गए हैं वे शुद्धता, पारदर्शिता तथा वित्तीय स्थिति की संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को वित्त लेखों में 'लेखों पर टिप्पणियाँ' किए जाने हेतु शुरूआत करने की आवश्यकता है।

अंगम चंदे

नई दिल्ली
दिनांकः 13 अगस्त 2019

(लैसराम अंगम चंद सिंह)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 16 अगस्त 2019

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक